GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 5914
TO BE ANSWERED ON 30.03.2026

ENHANCEMENT OF PENSION UNDER EPS-95

†5914. SHRI RUDRA NARAYAN PANY:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the pension amount given under Employees Pension Scheme (EPS), 1995 is very negligible;
(b) if so, the details thereof; and
(c) whether the Government proposes to increase the said amount and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)

(a) to (c): The EPS, 1995 is a "Defined Contribution-Defined Benefit" Social Security Scheme. The corpus of the Employees' Pension Fund is made up of (i) contribution by the employer @ 8.33 per cent of wages; and (ii) contribution from Central Government through budgetary support @ 1.16 per cent of wages up to an amount of Rs.15,000/- per month. All benefits under the scheme are paid out of such accumulations.

The amount of monthly pension is calculated in accordance with the following factors:

$$\text{Monthly Pension} = \frac{\text{Pensionable Service X Pensionable Salary}}{70}$$

The fund is valued annually as mandated under paragraph 32 of the EPS, 1995.

The Government is also providing a minimum pension of Rs. 1000 per month to the pensioners under the EPS, 1995 through budgetary support, which is in addition to the budgetary support of 1.16 per cent of wages provided annually towards EPS to Employees' Provident Fund Organisation (EPFO).

The Government of India is committed to ensure maximum benefits for workers under the EPS-95 scheme, duly taking into consideration the health of the Fund as well as the future liabilities thereon.

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5914
सोमवार, 30 मार्च, 2026/09 चैत्र, 1948 (शक)

ईपीएस-95 के तहत पेंशन में वृद्धि

5914. श्री रुद्र नारायण पाणी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन की राशि अत्यंत नगण्य है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का उक्त राशि में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक "परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ" सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान और (ii) बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा 15,000/- रुपये प्रति माह तक के वेतन पर 1.16 प्रतिशत के अंशदान से मिलकर बनता है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस संचित राशि से किया जाता है।

मासिक पेंशन की राशि की गणना निम्नलिखित कारकों के अनुसार की जाती है:

$$\text{मासिक पेंशन} = \frac{\text{पेंशन योग्य सेवा X पेंशन योग्य वेतन}}{70}$$

जारी..2/-

ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार इस फंड का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है।

सरकार बजटीय सहायता के माध्यम से ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन भी प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16 प्रतिशत के बजटीय सहायता के अतिरिक्त है।

भारत सरकार ईपीएस-95 योजना के तहत श्रमिकों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें इस फंड की स्थिति के साथ-साथ भविष्य की देनदारियों को भी ध्यान में रखा गया है।